(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 19/2024–25
दिनांकः 5 जुलाई, 2024

विषयः आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2 के अध्याय 10 के क्रम सं. 55 और 57 की नीतिगत शर्त में संशोधन के संबंध में।

सा.आ.(अ.) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा चावल (बासमती और गैर–बासमती) के निर्यात हेतु आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति, 2018 की अनुसूची–2 की क्रम सं. 55 और 57 पर नीतिगत शर्त को संशोधित करने वाली **दिनांक 12.12.2023 की अधिसूचना सं. 52/2023** में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करती है।

2. अध्याय 10 में क्रम सं. 55 और 57 की मौजूदा प्रविष्टियों में निम्नलिखित नीतिगत शर्त को संशोधित किया जाएगा/जोड़ा जाएगाः

क्र. सं.	प्रशुल्क मद एचएस कोड	मद विवरण	वर्तमान नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
55	1006 2000 100 6 30 1006 3010 1006 3090 1006 4000	गैर–बासमती चावल	• यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। • इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा।	• यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिशद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी करने के अधीन अनुमत है। • इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा।
57	1006 3020	बासमती चावल (डीहस्क्ड ब्राउन), सेमीमिल्ड, मिल्ड दोनों पारब्वायल्ड अथवा रॉ कन्डिशन में	• यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र' जारी	• यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और यूरोपीय देशों, नामतः यूनाइटेड किंगडम, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नार्वे और स्विट्जरलैंड को निर्यात, निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा 'निरीक्षण प्रमाणपत्र'

सं. सारंगी

			करने के अधीन अनुमत है। • इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा।	जारी करने के अधीन अनुमत है। • इस अधिसूचना की तारीख से छह महीने की अवधि के लिए शेष यूरोपीय देशों में निर्यात के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण द्वारा निरीक्षण का प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं होगा।

3. अधिसूचना का प्रभावः

मौजूदा अधिसूचना सं. 52/2023 दिनांक 12.12.2023 को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों और अन्य यूरोपीय देशों नामतः यूनाइटेड किंगडम, आसलैंड, लिकस्टेंस्टीन, नार्वे और स्विटजरलैंड को चावल (बासमती और गैर–बासमती) का निर्यात करने के लिए ईआईसी/ईआईए से निरीक्षण प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। शेष यूरोपीय देशों को निर्यात हेतु इस अधिसूचना की तिथि से और छह माह हेतु निर्यात करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद/निर्यात निरीक्षण अभिकरण से निरीक्षण प्रमाण पत्र अपेक्षित नहीं होगा।

5.7.2024

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल : dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/35/एएम 20/ई–फाइल/ई–18655 से जारी)